

Need to clear pending Thermal Power Projects in Maharashtra

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : महोदया, महाराष्ट्र में कुछ विकास की प्रक्रिया में अति आवश्यक बिजली के सम्बन्ध में आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि महाराष्ट्र एक अति प्रगतिशील राज्य है और महाराष्ट्र की यह इच्छा है कि खेती के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रयास करे। इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास यूजनी स्टेज-1, भुसावल, धाबोर, बरनी स्टेज-बी और उमेर ऐसे पांच थर्मल पावर स्टेशनों की मांग कई वर्षों से की हुई है। यूजनी 1975 की है, भुसावल 80 की है, धाबोर 81 की है और बरनी एवं उमेर 86-87 की हैं। अगर इनके नाम आप देखें, क्यों कि आप महाराष्ट्र को जानती हैं, इन सारे थर्मल पावर स्टेशनों की मांग जो है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की है और इस में भी मराठवाड़ा, कोंकण और विदर्भ रीजन की हैं जो महाराष्ट्र में सबसे पिछड़े इलाके माने जाते हैं। इस मांग को आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोल लिफ्ट के कारण मान्यता नहीं मिली ऐसा हमें कहा गया है। हम आप से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को क्लीअर किया जाये। होता यह कि जमीन लेना और उसका सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना आदि में 5-6 साल की अवधि लगती है। अगर आज यह क्लीयर कर दें तो कोल लिफ्ट की बात नाइन्थ प्लान में पूरी कर सकते हैं उसके बाद भी उसके काम में जो बिजली के केन्द्र होंगे वे सारे प्रोजेक्ट्स काम में आ सकते हैं। इसके लिए मेरा आप के द्वारा ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि जो पांच थर्मल पावर स्टेशन की मांग महाराष्ट्र सरकार ने कई वर्षों से की है उस वह पूरा करे और इन प्रोजेक्ट्स का जो संस्थान बनाना चाहते हैं उनकी वह अनुमति दे दें ताकि उसकी अन्तिम प्रक्रिया नाइन्थ पंचवर्षीय योजना में शुरू हो जाए और नाइन्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो बिजली की मांग

महाराष्ट्र में बढ़ती रहेगी वह मांग पूरी करने की क्षमता महाराष्ट्र में आ जायेगी। इसी के साथ आप से दखिस्त है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए जो कुछ भी प्रयास करवा है उसमें आप भी हमारी मदद करें। धन्यवाद।

Demonstration by displaced Tribals and Adivasis against Narmada Sagar and Sardar Sarovar Projects

श्रीमती कमला सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यह मामला हमारे दो प्रांतों गुजरात और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से यह मामला लम्बित है। नर्मदा के ऊपर नर्मदा सागर योजना और सरदार सागर योजना बननी है। इसमें कुछ बातें होनी चाहिए थीं, जैसे पर्यावरण विभाग से अनुमति लेकर पर्यावरण खराब न हो उसके हिसाब से काम होना चाहिए था। जो लोग उजड़ जाएंगे उनके बारे में क्या होगा, उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए था। और भी बहुत सी बातें हैं जो नहीं हो सकी। कल प्रधान मंत्री भवन के समक्ष बाबा आम्टे, श्री सुन्दरलाल बहुगुणा और श्री मेदा पटवर के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों और कृषकों ने जो नर्मदा वैली में बसते हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन का मुपा था कि नर्मदा सागर योजना और सरदार सागर योजनाओं का दुबारा रिसेसमेंट किया जाय और इस विषय को फिर से देखा जाय कि यह उचित होगा या नहीं। मैं आपके सामने यह बात लाना चाहूंगी कि इस योजना को लागू होने में 54106 हेक्टेयर जंगल डूब जाएगा, 55681 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन डूब जाएगी और 502 गांव उजड़ जाएंगे जिसमें 2 लाख 30 हजार आबादी आदिवासियों और पिछड़े वर्गों की है और आय कृषकों की है। इनकी जमीन बर्बाद हो जाएगी डूब जाएगी। ये दोनों योजनाएँ कंडीशनल थीं इनवाइरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से और प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से। दूसरा उनके पुनर्वास का भी सवाल